



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 2005/फाल्गुन 27, 1926

No. 265]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2005/PHALGUNA 27, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2005

का.आ. 333(अ).—जबकि वक्फों के बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) अधिनियमित किया गया था, इसमें वक्फ बोर्डों के कार्यकरण तथा वक्फों के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् की स्थापना करने की व्यवस्था का उल्लेख है;

और जबकि पूर्वोक्त अधिनियम में, अन्य बातों के साथ केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है जो (i) अखिल भारतीय स्वरूप और राष्ट्रीय महत्त्व के मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति; (ii) प्रशासनिक और वित्त विशेषज्ञता वाले राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति; (iii) राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक अधिवक्ता; और (iv) ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम विधि में प्रतिष्ठित विद्वान हों; में से चयन किए जाएंगे;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दिनांक 2 मई, 2003 के का.आ. 492(अ) के तहत गठित केन्द्रीय वक्फ परिषद् के सदस्यों के चयन में प्रयुक्त मापदण्ड और वास्तविकता पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंधों तथा उसके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार गठित की गई परिषद् के अनेक सदस्यों द्वारा सांविधिक मानकों और शर्तों का पालन न किए जाने

के कारण केन्द्रीय वक्फ परिषद् को नए सिरे से पुनर्गठित करने के लिए लोकहित में इसे आवश्यक समझती है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 2 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 492(अ) का अधिक्रमण करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय वक्फ परिषद् की एतद्द्वारा स्थापना करती है जिसके निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

वक्फ के भार साधक संघीय मंत्री अध्यक्ष

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (i) के अधीन नियुक्त सदस्य

- श्री नईमुल्लाह अन्सारी,
मोहल्ला नूर खानपुर,
सन्त रविदास नगर,
बदोही (उ. प्र.)
दूरभाष : 9839060901
- श्री शकील अहमद सैयद,
98-99, आज़ाद अपार्टमेंट,
प्लॉट नं. 111, आई.पी. एक्सटेंशन, दिल्ली-92
दूरभाष : 22059899/22459899

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (iv) के

अधीन नियुक्त सदस्य

11. अशोक, आशाम चक्र बोर्ड,

राजधानी मंत्रालय रोड, दिल्ली,

गुजराती-781006

दूरभाष : 9435011330

12. अशोक, कर्ण चक्र बोर्ड,

पाणाम रोड, कोचि-682018,

केरल

दूरभाष : 04842394691

13. अशोक, पंचाक्ष चक्र बोर्ड,

एच.ओ.एस.सी.ओ. 1062-63,

सेक्टर-22, बी, बंलौर।

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (v) के

अधीन नियुक्त सदस्य

14. अरिंदम मलिक शरीक-उ-दीन (संवाहियत)

दीवानस कारोबारी, विकीपारा,

सीपार (कम्पार)

दूरभाष : 01954222682

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (vi) के

अधीन नियुक्त सदस्य

15. श्री अय्यर-ए-आलम,

मुजीबान स्ट्रीट,

मोहम्मद कारोबारी,

सहारापुर-247001 (उ.प्र.)

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (vii)

के अधीन नियुक्त सदस्य

16. श्री सैयद अजी अहमद शाह शरफ-ए-आलम नदवी,

शाह मीनल, शाह मार्केट,

खलीफाबाग, भागलपुर-812001

बिहार।

दूरभाष : 0641-2421161, 9431214630

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (viii)

के अधीन नियुक्त सदस्य

17. श्री सैयद अली,

बी-326, सेक्टर-26, नोएडा,

(उ.प्र.)

दूरभाष : 0120-2547659/9891271233

3. श्री सैयद सादुल्लाह, आई.एच.एस. (संवाहियत)

फ्लैट नं. 404, ब्लॉक-8, ईस्ट एंड अपार्टमेंट,

मयू फ्लैट-1 एक्सटेंशन,

दिल्ली-96

दूरभाष : 22742126/26326780/9891523535

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (ii) के

अधीन नियुक्त सदस्य

4. श्री सलमान खशीद,

4, गुलशौर एवेन्यू,

आंध्रप्रदेश, गार,

नई दिल्ली-25

दूरभाष : 268496662/26322720 फ़ैक्स : 268496662

5. श्रीमति सलमा खुर्राम,

5, बाग़ुप-ए, पुराना, बिक साईड,

मयू रोड, नई दिल्ली-14

दूरभाष : 24319805/9810794217

6. डॉ. सैयद अहमद,

108, शीरीन मीनल,

सेंट पीरी रोड, मजारा,

मुम्बई-400010

7. श्री विभाकराणी शरीक,

अल-बक़ा, गौडन ए-कलेज,

एनपीई रोड, बंगलौर-560017

दूरभाष : 25273930/25277987/25270934

धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के तय खण्ड (iii)

के अधीन नियुक्त सदस्य

8. मोहमद सलीम,

सदस्य सदस्य (लोक सभा),

156-158, चौथे एवेन्यू,

नई दिल्ली-1

दूरभाष : 23320744/9868180200

9. श्री बी.एम. आरिफ ख़ादी,

सदस्य सदस्य (लोक सभा)

116, चौथे एवेन्यू,

नई दिल्ली-1

दूरभाष : 9868180133/9818758942

10. श्री के. रेमान,

सदस्य सदस्य (राज्य सभा)

28, अकबर रोड,

नई दिल्ली-11

दूरभाष : 23795782

18. डॉ. रज़ी अहमद कमल,
161/15, जोगाबाई, जामिया नगर,
नई दिल्ली-25,
दूरभाष : 55638046/9868330744
19. मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजाददी
1617, खेजरे का रास्ता,
हिदायत मस्जिद के सामने,
नज़दीक इंदिरा बाज़ार,
पो. बो. नं. -2,
जयपुर-302001,
दूरभाष : 0141-2319935

[फा. सं. 8(2-ए)/2002-वक्फ]

डॉ. जी. प्रसन्न कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2005

S.O. 333(E).—Whereas the Wakf Act, 1995 (43 of 1995) was enacted with an objective to provide for the better administration of Wakfs and with a view to achieve this objective it provided for establishment of the Central Wakf Council to advise the Central Government on matters concerning the working of Board of Wakfs and the due administration of Wakfs;

And whereas the said Act, *inter alia*, provides for appointment of members of the Central Wakf Council, to be selected from (i) persons representing Muslim Organisations having all India character and national importance; (ii) persons of national eminence having administrative and financial expertise; (iii) one advocate of national eminence; and (iv) persons who are eminent scholars in Muslim law;

And whereas the Central Government is of the opinion that the criteria and objectivity applied in the selection of the members of Central Wakf Council constituted *vide* S.O. No. 492(E) dated 2nd May, 2003 is not in consonance with the provisions of the said Act and its objective;

And whereas the Central Government considers it necessary in public interest to re-constitute the Central Wakf Council afresh due to non-fulfilment of statutory norms and conditions of appointment by many of the members of the Council so constituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 9 of the Wakf Act, 1995, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 492(E) dated the 2nd May, 2003

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby establishes the Central Wakf Council consisting of the following Chairperson and members, with effect from the date of publication of this notification, namely :—

Union Minister in charge of Wakfs —Chairperson

Members appointed under sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

1. Shri Naimullah Ansari
Mohallah-Noor Khanpur,
Sant Ravidas Nagar, Badohi (U.P.)
Ph : 9839060901
2. Shri Shakil Ahmad Syed
98-99, Azad Apartments,
Plot No. 111, I.P. Extn.
Delhi-92.
Ph : 22059899, 22459899
3. Shri Syed Shahabuddin, IFS (Retd.)
Flat No. 404, Block-8,
East End Apartments,
Mayur Vihar-1 Extn.,
Delhi-96
Ph. 22742126, 26326780, 9891523535 (Mb)

Members appointed under sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

4. Shri Salman Khurshid,
4, Gulmohar Avenue,
Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph. 26849662, 26322720, Tel. Fax. 26849662
5. Smt. Salma Sultan,
5, Jungpura-A,
Ground Floor, Back Side,
Mathura Road,
New Delhi-14
Ph : 24319805, 9810794217
6. Dr. Syed Ahmed,
108, Shirin Manzil,
St. Mary Road, Mazgaon
Mumbai-400010
7. Shri Ziaulla Sheriff
"Al-Barka", Golden Enclave, Airport Road,
Bangalore-560017
Ph : 25273930, 25277987, 25270934

Members appointed under sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section 9

8. Mohd. Salim
Member of Parliament (Lok Sabha)
156-158, North Avenue, New Delhi-110001
Tel. No. 23320744, 9868180200
9. Sh. J.M. Aaron Rashid
Member of Parliament (Lok Sabha)
116, North Avenue, New Delhi-110001
Tel. No. : 9868180133, 9818758942

10. Sh. K. Rehman
Member of Parliament (Rajya Sabha)
28, Akbar Road, New Delhi-110001
Tel. No. : 23795782

Members appointed under sub-clause (iv) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

11. Chairperson, Assam Board of Wakfs
Rajdhani Masjid Road, Dispur,
Guwahati-781006
Mb. : 09435011330
12. Chairperson, Kerala Wakf Board
Paramara Road,
Kochi-682018,
Kerala
Ph. : 0484-2394691
13. Chairperson, Punjab Wakf Board
H.O.S.C.O. 1062-63,
Sector-22 B, Chandigarh

Members appointed under sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

14. Justice Malik Sharief-ud-din (Retd.)
People's Colony,
Chinkipora,
Sopore (Kashmir)
Ph. : 01954222682

Member appointed under sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

15. Sh. Ghayyur-E-Alam
Mutriban Street, Mohalla Qaziyan,
Saharanpur-247001
(U.P.)

Member appointed under sub-clause (vii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

16. Sh. Syed Ali Ahamed Shah Sharaf-E-Alam Nadwi
Shah Manzil, Shah Market,
Khalifabagh, Bhagalpur-812001
(Bihar)
Ph. : 0641-2421161, 09431214630 (Mb.)

Member appointed under sub-clause (viii) of clause (b) of sub-section (2) of Section 9

17. Shri Mansoor Ali
B-326, Sector-26, Noida,
Ph. 0120-2547659/9891271233 (Mob.)
18. Dr. Razi Ahmed Kamal,
161/15, Jogabai, Jamia Nagar,
New Delhi-25
Ph. : 55638046, 9868330744
19. Maulana Mohammad Fazlur Rahim Mujaddidi
1617, Khejre Ka Rasta,
Opp. Hidayat Masjid,
Near Indira Bazar,
P.B. No.-2, Jaipur-302001
Ph. No. : 0141-2319935.

[F. No. 8(2-A)/2002-Wakf]

Dr. G. PRASANNA KUMAR, Jt. Secy.